(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2023/88

मिसल नम्बर–27 / 2023

1.श्रीमती रूकमणी बाई पत्नी श्री गिरिराज प्रसाद मेहर निवासी ग्राम गोदल्याहेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.प्रभूलाल पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम डाहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2.चन्दू पुत्र बाबूलाल भरद्वाज
3.बद्रीलाल नायक पुत्र स्व0 श्री लाल नायक निवासी गोदल्याहेड़ी
4.रामलाल पुत्र औकांरलाल रेगर

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 29/5/26

उपस्थिति:–
1.श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर, अधिवक्ता प्रार्थी।
2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम गोदल्याहेड़ी पटवार हल्का गोदल्याहेड़ी भू0 अभि0 नि0 ताथेड़ तहसील लाडपुरा खाता संख्या नया 107 खसरा नं0 403 प्रार्थीया की स्वयं की खातेदारी की भूमि है एवं प्रार्थीया स्वयं का कब्जा है। प्रार्थीया की उक्त भूमि के चारों तरफ पक्की दीवार तार बंदी करवाना चाहती है। जिसके लिये प्रार्थीया ने पड़ोसी खातेदारों से निवेदन किया परन्तु पड़ोसी खातेदारों ने इसके लिए मनाकर दिया है एवं पडोसी खातेदारों ने कहा कि सक्षम न्यायालय में वाददायर करके अनुतोष प्राप्त करें। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि जो ग्राम व पटवार हल्का गोदल्याहेड़ी तहसील लाडपुरा है। खसरा नं0 403 की प्रार्थीया की स्वयं की खातेदारी भूमि होने से पक्की दीवार/पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश करवाने की कृपा कराने की कष्ट करे।

बहस उपरान्त पत्रावली में निहित दस्तावेंज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

कृकमणी बाई ....बनाम..........

है एवं तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गोदल्याहेड़ी पटवार हल्का गोदल्याहेड़ी तहसील लाडपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 403 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि की पत्थगढ़ी की जावे एवं पत्थरगढ़ी के दौराने निम्न बिन्दु अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे–

1 प्रकरण में प्रभावित सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सभी पक्षकारों की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावे।

2 यदि कोई भी कदीमी / प्रचलित या स्थायी रास्ता प्रचलन में है तो पत्थरगढ़ी से बाधित नहीं किया जा सकेगा।

3 यदि कोई धोरा या जलनिकासी का मार्ग हस्तगत आराजी में है तो पत्थरगढ़ी से बाधित नहीं किया जा सकेगा।

4 यदि मौके पर भूमि कम है तो पक्षकार को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।

5 यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो पत्थगढी की कार्यवाही नही करते हुये पक्षकार को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।

निर्णय आज दिंनाकः 29/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा